WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 31 मई, 2023

सा.का.नि. ....(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, नियम 12 में, उपनियम (1ख) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए, यथास्थिति, प्ररूप सं. एओसी-4 या प्ररूप सं. एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस), जो कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट है या प्ररूप सं. एओसी-4 एक्सबीआरएल, जो कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट है, के फाइल करने के पश्चात्, 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले पृथकतः प्ररूप सीएसआर-2 फाइल किया जाएगा"।

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-III]

मनोज पाण्डेय

(मनोज पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 723(अ), तारीख 14 अक्तूबर, 2014, सा.का.नि.37(अ), तारीख 16 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 680(अ), तारीख 4 सितंबर, 2015, सा.का.नि. 742(अ), तारीख 27 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 1371(अ), तारीख 7 नवंबर, 2017, सा.का.नि. 191(अ), तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि.725(अ), तारीख 31 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 803 (अ), तारीख 22 अक्तूबर, 2019, सा.का.नि. 60(अ), तारीख 30 जनवरी, 2020, सा.का.नि. 205(अ), तारीख 24 मार्च, 2021, सा.का.नि.247(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2021, सा.का.नि. 107(अ), तारीख 11 फरवरी, 2022, सा.का.नि. 235(अ), तारीख 31 मार्च, 2022, सा.का.नि. 407(अ), तारीख 31 मई, 2022, सा.का.नि. 624(अ), तारीख 5 अगस्त, 2022 और सा.का.नि. 40(अ), तारीख 20 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, dated the 31st May, 2023

G.S.R. (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 12, in sub-rule (1B), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that for the financial year 2022-2023, Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31st March, 2024 after filing Form No. AOC-4 or Form No. AOC-4-NBFC (Ind AS), as specified in these rules or Form No. AOC-4 XBRL as specified in the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 as the case may be."

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

Manoj Pandey,
Joint Secretary

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended *vide* notifications number G.S.R. 723(E), dated the 14th October, 2014, G.S.R.37(E), dated the 16th January, 2015, G.S.R. 680(E), dated the 4th September, 2015, G.S.R. 742(E), dated the 27th July, 2016, G.S.R. 1371(E), dated the 7th November, 2017, G.S.R. 191(E), dated the 27th February, 2018, G.S.R.725(E), dated the 31st July, 2018, G.S.R. 803 (E), dated the 22nd October, 2019, G.S.R. 60 (E), dated the 30th January, 2020, G.S.R. 205(E), dated the 24th March, 2021, G.S.R.247(E), dated the 1st April, 2021, G.S.R. 107(E), dated the 11th February, 2022, G.S.R. 235(E), dated the 31st March, 2022, G.S.R. 407(E) dated the 31st May, 2022, G.S.R. 624(E), dated the 5th August, 2022 and G.S.R. 40(E), dated the 20th January, 2023.